तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
19/7/24	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष श्रवण वास्ते आदेश दि० 24/7/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
24/7/24	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष श्रवण वास्ते आदेश दि० 31/7/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
31/7/24	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित। दावा वादीगण रमेश बनाम रुक्मणी वगै० खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है एवं प्रतिवादीगण द्वारा पेश संशोधित वाद रुक्मणी बनाम इन्दरी वगै० दावा स्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाता है। प्रकरण का रूबकार विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। फर्द डिक्री जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 24/6 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

प्रकरण संख्या:– 68/2020
प्रकरण दायर दिनांक:–10.07.2020
प्रकरण निर्णय दिनांक:– 31.07.2024

दावा प्रकरण सं. 68/2020 उनवान– रमेश चन्द वगै. बनाम रूक्मणी वगै. एवं दावा प्रकरण सं. 112/2020 उनवान– रूक्मणी वगै. बनाम द्रोपदी वगै. कन्सोलिडेट निर्णय

<u>उनवान</u>

1. रमेश चन्द पुत्र हरसहाय
2. विजेन्द्र पुत्र दशरथ
3. धर्मेन्द्र पुत्र दशरथ
4. कमला पत्नि दशरथ
5. विकास पुत्र दिनेश
6. द्रौपदी पत्नि दिनेश

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सुनगाडी तहसील बसवा हाल तह. बॉदीकुई जिला दौसा

बनाम

1. रूकमणि पुत्री मूल्या पत्नि रामचरण जाति ब्राहम्ण निवासी रायपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा
2. शकुन्तला पुत्री मूल्या पत्नि जीवनराम जाति ब्राहम्ण निवासी रायपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा
3. त्रिलोक पुत्र कैलाश | निवासी सुनगाडी तह. बसवा
4. चांद पत्नि कैलाश
5. अभिषेक पुत्र राजेन्द्र
6. नितेश पुत्र राजेन्द्र
7. प्रमिला पत्नि राजेन्द्र

समस्त जाति ब्राहम्ण हाल निवासी प्रताप नगर रेल्वे कॉलोनी उदयपुर राजस्थान

8. दुर्गेश पुत्र अशरफीलाल | निवासी सुनगाडी तह. बसवा हाल निवासी सी–146 हरिभाउ
9. संजय पुत्र अशरफीलाल | उपाध्याय नगर पुष्कर रोड अजमेर
10. कान्ता पत्नि अशरफीलाल | निवासी सुनगाडी तह. बसवा हाल समस्त जाति ब्राहमण निवासी पुष्कर रोड अजमेर जिला अजमेर
11. महेश पुत्र हरसहाय जाति ब्राहम्ण निवासी सुनगाडी हाल निवासी गांधीधाम गुजरात
12. सुरेन्द्र पुत्र दशरथ जाति ब्राहम्ण निवासी सुनगाडी तह. बसवा जिला दौसा
13. राजस्थान सरकार जरिये (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार तहसील बसवा हाल तह. बॉदीकुई जिला दौसा
14. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये प्रोजेक्ट डायरेक्टर शिवविहार कॉलोनी रावत पैलेस के पीछे दौसा जिला दौसा खण्ड दौसा

वाद पत्र बाबत उदघोषणा खातेदारी दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादीगण द्वारा वाद पत्र बाबत उदघोषणा खातेदारी दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 12 एक ही कुटुम्ब के सहकुटुम्बी व भाई बन्धु है। वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 12 की सहखातेदारी कब्जे काश्त की भूमि हाल खसरा नं. 504, 505, एवं 506 कुल किता 3 कुल रकबा 0.76 हैक्ट. वाके मौजा सुनगाडी तहसील बसवा हाल तह. बॉदीकुई जिला दौसा में स्थित है। जिसके साबिक खसरा नंबर 536 रकबा 3 बीघा थे। उक्त भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 3 लगायत 12 हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 हिस्सा 1/2 के खातेदार काबिज काश्तकार हैं। साबिक खसरा नं. 536 रकबा 3 बीघा वाके मौजा सुनगाडी के संवत 2008 लगायत 2012 की जमाबंदी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 03 लगायत 12 के पूर्वज स्व. श्री हरसहाय वल्द रामप्रताप 1/2 हिस्से के खातेदार काबिज काश्तकार थे तथा 1/2 हिस्से के खातेदार काबिज काश्तकार मूल्या वल्द रामचन्द्र व लक्ष्मीनारायण वल्द कन्हैयालाल थे। तत्पश्चात उक्त हरसहाय वल्द रामप्रताप एवं मूल्या तथा लक्ष्मीनाराण के फौत होने पर विरासत के आधार पर उक्त भूमि की खातेदारी विरासत में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिताओं को तत्पश्चात वादीगण एवं प्रतिवादीगण को प्राप्त होती चली आई है तथा इसी प्रकार 1/2, 1/2 हिस्से पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण शान्तिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा इसी कारण भूमि के राजस्व रिकार्ड को देखने की कभी वादीगण को आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई। संवत 2018 से संवत 2022 की जमाबंदी में भी खसरा नं. 536 के 1/2 हिस्से का खातेदार काबिज काश्तकार हरसहाय वल्द रामप्रताप दर्ज राजस्व रिकार्ड चला आ रहा है। परन्तु तत्पश्चात की जमाबंदियों में राजस्व कर्मचारियों ने नई जमाबन्दी बनाते समय हरसहाय वल्द रामप्रताप का नाम बिना किसी अधिकार के अवैध तरीके से हजफ फरमा दिया जबकि वादीगण का पूर्वज हरसहाय भूमि मुतदाविया पर शुरू से ही लगातार काबिज काश्त रहता रहा तथा उनके साथ एवं उनकी मृत्यु के पश्चात वादीगण के पितागण एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 03 लगायत 12 काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा वर्तमान में भी भूमि मुतदाविया पर काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं।

हाल ही में दिल्ली बडोदरा एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण हेतु भूमि मुतदाविया में से कुछ भूमि अवाप्त की गई है। जिस पर मालूम किया तो भूमि अवाप्ति अधिकारी के कार्यालय में मालूम चला कि साबिक खसरा नम्बर 536 के नये खसरा नंबरान 504, 505, 506 की भूमि अवाप्त की गयी है जिस पर अवाप्ति की कार्यवाही में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 3 लगा. 12 का नाम दर्ज न पाया जाकर एक प्रार्थना पत्र भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 3 लगा. 12 भी खातेदार हैं इसलिए मुआवजा हमें भी दिया जावे जिस पर भूमि अवाप्ति अधिकारी ने वादीगण को आश्वस्त किया कि उक्त भूमि का मुआवजा प्रदान करते समय तुम्हे बुला लिया जावेगा व तुम्हारी आपत्ति का निस्तारण किया जावेगा। परन्तु वादीगण को भूमि अवाप्ति अधिकारी ने नहीं बुलाया जिस पर दिनांकः 08.06.2020 को वादीगण भूमि अवाप्ति अधिकारी के कार्यालय पर पहुँचे तो भूमि अवाप्ति अधिकारी ने उक्त भूमि वादीगण के नाम नहीं होना बताया। जिस पर वादीगण ने पुराने रिकार्ड की नकल ली तब सर्वप्रथम वादीगण को मालूम चला कि राजस्व कर्मचारियों से प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के पूर्वज मूल्या ने मिलीभगत कर षडयन्त्रपूर्वक वादीगण के पूर्वजों का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ कर दिया व सम्पूर्ण भूमि को मूल्या व बाल्या के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया जिसका राजस्व कर्मचारियों को कतई कोई हक व अधिकार नहीं था। प्रतिवादी सं. 1 व 2 को कतई कोई अधिकार नहीं है कि वो भूमि मुतदाविया की अवाप्ति की राशि को अकेले ही हडप करें व भूमि अवाप्ति अधिकारी के कार्यालय से वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 3 लगा. 12 के 1/2 हिस्से की भूमि की अवाप्ति राशि को भी वो प्राप्त करें।

अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद पत्र बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत उदघोषणा इस आशय का डिक्री फरमाया जावे कि

भूमि साबिक खसरा नं. 536 रकबा 3 बीघा हाल खसरा नंबरान 504, 505, 506 कुल रकबा 0.76 हैक्ट. वाके मौजा सुनगाडी के वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 3 लगायत 12 हिस्सा 1/2 के खातेदार काबिज काश्तकार हैं तथा इसी कदर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जाकर राजस्व रिकार्ड के खातेदारी कॉलम में अंकन किया जावे। तथा प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय से प्रतिबंधित किया जावे कि भूमि साबिक खसरा नंबर 536 रकबा 3 बीघा हाल खसरा नम्बरान 504, 505, 506 कुल रकबा 0.76 हैक्ट. वाके मौजा सुनगाडी का अवाप्ति का जितना भी पैसा नेशनल हाईवे ऑथरिटी की तरफ से भूमि अवाप्ति अधिकारी के कार्यालय में जमा किया गया है या करवाया जावे तो उस राशि को अकेले प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 प्राप्त करने से व प्रतिवादीगण सं. 14 अकेले प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 को सीधे या भूमि अवाप्ति अधिकारी के जरिये प्रदान करने से व प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 उक्त रूपये को प्राप्त करने हेतु किसी को अधिकार पत्र प्रदान करने से व अवाप्ति के पश्चात शेष बची भूमि में वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा करने से उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा करने से प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 स्वयं व अपने परिवारजन रिश्तेदार नौकर चाकर एजेन्ट, सर्वेन्ट अधिकारी कर्मचारी एवं हर प्रकार से हमेशा हमेशा के लिए प्रतिबन्धित रहे। उक्त भूमि से संबंधित प्रतिवादीगण द्वारा दावा स्थायी निषेधाज्ञा प्र. सं. 112/2020 उनवान रूक्मणी वगै. बनाम द्रोपदी वगै. पेश किया गया जिसमें उक्त प्रकरण के वादीगण द्वारा दावा रमेश चन्द वगै. बनाम रूक्मणी वगै. के वादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया गया।

वादीगण वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जर्ये नोटिस विधिवत की गई। प्रतिवादीगण सं. 03 लगायत 12 की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेश विजय ने एवं प्रतिवादी सं. 14 की ओर से अधिवक्ता श्री दीपक शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। उक्त वाद एवं प्रकरण से संबंधित अन्य द्द दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्रकरण सं. 112/20 उनवान रूक्मणी बनाम द्रोपदी वगै. दोनों प्रकरणों की विवादित सम्पत्ती समान होने से प्रकरण सं. 112/20 उनवान रूक्मणी बनाम द्रोपदी वगै. को उक्त प्रकरण के कन्सोलिडेट किया गया। कन्सोलिडेट प्रकरण सं. 112/20 उनवान रूक्मणी बनाम द्रोपदी वगै. प्रतिवादी सं. 1 लगायत 6 ने जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में तनकीयात कायम की जाकर सुनाई गयी। साक्ष्य वादी शपथ पत्र रमेश चन्द, द्रोपदी, विकास एवं कन्हैयालाल के पेश किये गये। साक्ष्य वादी रमेश चन्द एवं कन्हैयालाल से जिरह प्रतिवादी वकील की गई। साक्ष्य प्रतिवादी शपथ पत्र पेश नहीं करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई। प्रतिवादी सं. 14 एवं वादीगण की ओर से लिखित बहस पेश की गई। उभयपक्ष वकील बहस सुनी गयी। वादीगण वकील ने लिखित बहस में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। प्रतिवादीगण वकील ने बहस में वादीगण वाद को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। हमने उभयपक्ष वकील बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजातों का अवलोकन किया गया। उक्त दोनों दावों का तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है—

1. आया वादी रमेशचन्द वगै. विरूद्ध प्रतिवादीगण रूक्मणी वगै. में साबिक खसरा नं. 536 रकबा 3 बीघा हाल खसरा नं. 504, 505, 506 रकबा 0.76 हैक्ट. ग्राम सुनगाडी के वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 3 लगा. 12 हिस्सा 1/2 के खातेदार काबिज काश्तकार हैं। तदनानुसार दुरूस्ती रिकार्ड करा खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी हैं। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। वादी की ताईद में प्रदर्श--1 राजस्व जमाबन्दी संवत 2076—2079 ग्राम सुनगाडी खाता सं. नया 60 पुराना 63, प्रदर्श—2 मिलान क्षेत्रफल संवत 2052 से 2071, प्रदर्श—3 जमाबन्दी (खतौनी) संवत 2042--45 ग्राम सुनगाडी, प्रदर्श—4 जमाबन्दी (खेवट खतौनी) संवत 2018—2022 ग्राम पामाडी, प्रदर्श—5 खसरा गिरदावरी संवत 2013 ग्राम पामाडी, प्रदर्श—6 खतौनी बन्दोबस्त संवत 2008 से 2022 ग्राम पामाडी पेश की गई है। वादग्रस्त भूमि में जमाबन्दी (खेवट खतौनी) संवत 2018—2022 ग्राम पामाडी, खतौनी बन्दोबस्त संवत 2008 से 2022 ग्राम पामाडी में भी वादीगण के पूवजों का नाम दर्ज है। खसरा गिरदावरी संवत 2013 ग्राम पामाडी में भी नाम अंकित है। पत्रावली में गवाह के बयान दर्ज हैं। जिसमें मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1/2—1/2 भूमि पर काबिज होना बताया गया। परन्तु संवत 2022 से 2042 के मध्य के दस्तावेजात पेश नहीं किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वादीगण के पूर्वजों का नाम किस प्रकार हजफ हुआ है। उक्त दस्तावेजात के अभाव में वादीगण

का दावा सिद्ध नहीं होता है। उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में तय किया जाना उचित नहीं है। अतः तनकी संख्या 1 वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

2. आया वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर से वादग्रस्त भूमि पाने के अधिकारी है। एन.एच.ए.आई. की तरफ से भूमि अवाप्ति राशि कार्यालय भूमि अवाप्ति में जमा करावे, राशि प्राप्त न करें, शेष बची भूमि में वादीगण कब्जे काश्त में दखल न करें। तनकी सं. 02 को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। वादीगण द्वारा पेश दस्तावेजों का विवेचन तनकी सं. 01 में किया जा चुका है। जिसमें वादीगण वादग्रस्त भूमि में खातेदार नहीं है। तनकी सं. 01 वादीगण के विरूद्ध तय की गयी है। इसलिए उक्त तनकी भी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

3. आया वादीगण वाद रूक्मणी बनाम द्रोपदी में वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा वादग्रस्त भूमि बाबत प्राप्त करने के अधिकारी हैं। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण एवं वादीगण वाद रूक्मणी बनाम द्रोपदी पर है। वादीगण वाद रमेश बनाम रूक्मणी द्वारा पेश दस्तावेजों का विवेचन तनकी सं. 01 व 02 में किया जा चुका है। जिसके आधार पर वादीगण वादग्रस्त भूमि में खातेदार नहीं है। राजस्व जमाबन्दी संवत 2076–2079 ग्राम सुनगाडी खाता सं. नया 60 पुराना 63 के प्रतिवादीगण रूक्मणी व शकुन्तला (रूक्मणी बनाम द्रोपदी वगै. के वादीगण) वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। खातेदार काश्तकार अपनी भूमि में दखल करने से अन्य व्यक्ति को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं। अतः उक्त तनकी वादीगण वाद रूक्मणी बनाम द्रोपदी के पक्ष में तय की जाती है।

4. अनुतोषः– तनकी सं. 1 लगायत 3 के विवेचन के आधार पर खातेदारी पाने हेतु वादीगण द्वारा पर्याप्त दस्तावेजात पत्रावली में पेश नहीं किये गये हैं। अतः वादीगण खातेदारी अधिकार की उद्घोषणा कराने के अधिकारी नहीं है। अतः वादीगण का दावा खारिज किये जाने योग्य है। तथा उक्त वाद के समेकित दावा रूक्मणी बनाम द्रोपदी वगै. के वादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार होने के कारण दावा स्थायी निषेधाज्ञा रूक्मणी बनाम द्रोपदी वगै. स्वीकार योग्य है।

अतः आदेश है कि वादीगण वाद उद्घोषणा खातेदारी दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत ग्राम सुनगाडी तहसील बसवा हाल तह. बॉदीकुई स्थित भूमि हाल खसरा नं. 504, 505, 506 कुल किता 03 कुल रकबा 0.76 हैक्ट. खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। तथा उक्त वाद के समेकित दावा रूक्मणी बनाम द्रोपदी वगै. स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 504, 505, एवं 506 कुल किता 3 कुल रकबा 0.76 हैक्ट. वाके मौजा सुनगाडी तहसील बसवा हाल तह. बॉदीकुई जिला दौसा में वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत न करें। अंतिम डिकी जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांकः 31.07.2024 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

निर्णय सुनाया गया।

31.7.24

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बॉदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई